न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 64/24 GCMS NO 2024/108

मूर्ति मंदिर रघुनाथ जी जरिये पुजारी जगदीश नारायण मिश्र पुत्र स्व0गेंदीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी।

अपीलांट

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नि स्व0एदल प्रसाद
2. चांद नारायण पुत्र सत्यनारायण
3. युक्ति प्रसाद पुत्र देवी दयाल जातियान ब्राहम्ण निवासीचान चूली गेट गंगापुर सिटी
4. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर हाल जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
6. मंदिर श्री रधुनाथ महाराज विराजमान गंगापुर सिटी जरिये कमिश्नर देवस्थान विभाग उदयपुर
7. तुलसी पुत्री लाजपतराय पत्नि शंभूदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी चोटी बाजार निवाई जिला टोंक
8. वंदना पुत्री लाजपतराय पत्नि महेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी राजकीय महाविधालय के सामने दौसा
9. इन्द्रा पुत्री लाजपतराय पत्नि नरेन्द्र कुमार रेल्वे ड्राईवर जाति ब्राहम्ण निवासी लोको कालोनी कोटा
10. राहुल पुत्र नरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
11. रजत पुत्र स्व0नरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी हाल कार्यरत जिला जज कार्यालय सवाई माधोपुर
12. कावेरी पत्नि नरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
13. रेखा पुत्री लाजपत जाति ब्राहम्ण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी
14. घनश्याम पुत्र स्व0एदल प्रसाद
15. सतीश पुत्र स्व0एदल प्रसाद जातियान ब्राहमण निवासीयान चूली गेट गंगापुर सिटी

अपील संख्या – 63/24 GCMS NO 2024/109

राजेन्द्र मिश्र रामस्वरूप मिश्र जाति ब्राहम्ण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नि स्व0एदल प्रसाद
2. चांद नारायण पुत्र सत्यनारायण
3. युक्ति प्रसाद पुत्र देवी दयाल [illegible] चूली गेट गंगापुर सिटी
4. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सवा[illegible] हाल जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गं[illegible]
6. मंदिर श्री रधुनाथ महाराज [illegible] जरिये कमिश्नर देवस्[illegible]भाग उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

7. तुलसी पुत्री लाजपतराय पत्नि शंभूदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी चोटी बाजार निवाई जिला टोंक
8. वंदना पुत्री लाजपतराय पत्नि महेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी राजकीय महाविधालय के सामने दौसा
9. इन्द्रा पुत्री लाजपतराय पत्नि नरेन्द्र कुमार रेल्वे ड्राईवर जाति ब्राहम्ण निवासी लोको कालोनी कोटा
10. राहुल पुत्र नरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
11. रजत पुत्र स्व0नरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी हाल कार्यरत जिला जज कार्यालय सवाई माधोपुर
12. कावेरी पत्नि नरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
13. रेखा पुत्री लाजपत जाति ब्राहम्ण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी
14. घनश्याम पुत्र स्व0एदल प्रसाद
15. सतीश पुत्र स्व0एदल प्रसाद जातियान ब्राहमण निवासीयान चूली गेट गंगापुर सिटी
16. जगदीश नारायण मिश्र पुत्र गेंदीलाल मिश्र जाति ब्राहम्ण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी

रेस्पो0........

अपील संख्या - 72/24. GCMS NO 2024/159

मूर्ति मंदिर रघुनाथ जी विराजमान गंगापुर सिटी मे वाद मित्र अशोक पुत्र रमेश जाति ब्राहम्ण निवासी गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नि स्व0एदल प्रसाद
2. चांद नारायण पुत्र सत्यनारायण
3. युक्ति प्रसाद पुत्र देवी दयाल जातियान ब्राहम्ण निवासीयान चूली गेट गंगापुर सिटी
4. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
6. कमिश्नर देवस्थान विभाग उदयपुर
7. तुलसी पुत्री लाजपतराय पत्नि शंभूदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी चोटी बाजार निवाई जिला टोंक
8. वंदना पुत्री लाजपतराय पत्नि महेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी राजकीय महाविधालय के सामने दौसा
9. इन्द्रा पुत्री लाजपतराय पत्नि नरेन्द्र कुमार रेल्वे ड्राईवर जाति ब्राहम्ण निवासी लोको कालोनी कोटा
10. राहुल पुत्र नरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
11. रजत पुत्र स्व0नरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
12. कावेरी पत्नि स्व0 नरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
13. रेखा पुत्री लाजपतराय जाति ब्राहम्ण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी
14. घनश्याम पुत्र एदल प्रसाद
15. सतीश पुत्रएदल प्रसाद जातियान ब्राहम्ण निवासीयान चूली गेट गंगापुर सिटी
16. राजेन्द्र मिश्र पुत्र रामस्वरूप मिश्र ब्राहम्ण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

17. जगदीश नारायण मिश्र पुत्र गेंदीलाल मिश्र जाति ब्राहम्ण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी

रेस्पो0

अपील संख्या - 80/24 GCMS NO 2024/132

1. मूर्ति मंदिर रघुनाथ जी विराजमान गंगापुर सिटी जरिये कमिश्नर देवस्थान विभाग उदयपुर जरिये ओ0आई0सी0 पुष्पेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र श्री दामोदर लाल ब्राहम्ण निवासी निरीक्षक ग्रेड प्रथम देवस्थान करौली
2. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

अपीलांट

बनाम

1. प्रेम देवी पत्नि स्व0एदल प्रसाद
2. चांद नारायण पुत्र सत्यनारायण
3. युक्ति प्रसाद पुत्र देवी दयाल जातियान ब्राहम्ण निवासीचान चूली गेट गंगापुर सिटी
4. तुलसी पुत्री लाजपतराय पत्नि शंभूदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी चोटी बाजार निवाई जिला टोंक
5. वंदना पुत्री लाजपतराय पत्नि महेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी राजकीय महाविधालय के सामने दौसा
6. इन्द्रा पुत्री लाजपतराय पत्नि नरेन्द्र कुमार रेल्वे ड्राईवर जाति ब्राहम्ण निवासी लोको कालोनी कोटा
7. राहुल पुत्र स्व0 नरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
8. रजत पुत्र स्व0नरेन्द्र जाति ब्राहम्ण नाबालिंग वविलायत माता कावेरी बेवा स्व0 नरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
9. कावेरी पत्नि स्व0 नरेन्द्र जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड न0 25 झालरा कुऐ के पास गंगापुर सिटी
10. रेखा पुत्री लाजपतराय जाति ब्राहम्ण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी
11. घनश्याम पुत्र एदल प्रसाद
12. सतीश पुत्र एदल प्रसाद जातियान ब्राहमण निवासीयान चूली गेट गंगापुर सिटी
13. राजेन्द्र मिश्र पुत्र रामस्वरूप मिश्र ब्राहम्ण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी
14. जगदीश नारायण मिश्र पुत्र गेंदीलाल मिश्र जाति ब्राहम्ण निवासी चूली गेट गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपीले विरूद्व मु0नं0 187/94 निर्णय व डिकी दिनांक 2.8.24 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री शिवकुमार शर्मा, श्री तरूण कुमार शर्मा, श्री नवीन शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री श्याम मोहन शर्मा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:14 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 30.12.2024

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत चारो अपीले अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 2.8.24 न्यायालय उप जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

प्रस्तुत चारो अपीले एक ही निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पेश की गई है जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0संख्या 2 ता 3 द्वारा एक दावा बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती ,स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश कि वादिया न0 1 पं0चर्तुभुज की पुत्रबधु व वादी न0 2 व 3 पुत्रो के लडके है। साबिक ख0न0 824 रकबा 3 विस्वा, 817 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 818 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा , 821 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, 825 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, 822 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा, 815 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, 816 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, 823 रकबा 9 विस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 18 बीघा 3 विस्वा ग्राम मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी पं0 चर्तुभुज की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि थी। जिसके एकीकरण मे ख0न0 441 रकबा 3 विस्वा , 442/1 रकबा 17 बीघा 9 विस्वा, 442/2 रकबा 9 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 6 विस्वा बनाये गये। हाल सेटलमेंट मे इनके नये नम्बर 1063 रकबा 4.36 है0, 1064 रकबा 0.06 है0, 1065 रकबा 0.06 है0 , 1066 रकबा 0.02 है0, 1067 रकबा 0.11 है0बने है। उक्त भूमि सम्वत 1984 के बाद जयपुर रियासत मे कोन्सिल जयपुर ने इस मंदिर की माफी खालसा करके स्टेट के कब्जे मे ले ली थी और सम्वत 2003 मे उक्त भूमि के सबटीनेन्ट पं0चर्तुभुज थे और उनके नाम कब्जे व मौके पर काश्त के आधार पर उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज की गई। उक्त भूमि के पुजारी पं0हीरालाल थे जो फौत हो गये और सम्वत 2003 से लगातार उक्त भूमि प0 चतुर्भुज की खातेदारी मे चली आ रही थी। वही काश्त कर लगान अदा करते चले आ रहें थे। सन 1974 मे उक्त भूमि पं0 चतुर्भुज ने जरिये दानपत्र वादीगण के नाम कर दी थी और कब्जा वादीगण को दे दिया गया था। तभी से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है और सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है। दान पत्र के बाद उक्त भूमि की खातेदारी विधिवत वादीगण के नाम दर्ज गई थी और राजस्व रिकार्ड मे इसका अमल हो चुका था परन्तु हाल सेटलमेंट ने बिना किसी सक्षम आदेश के वादीगण को बिना कोई सुनवाई का मौका दिये उक्त भूमि मंदिर श्री रघुनाथ जी के माफी मे दर्ज कर दी और हाल ख0न0 1067 रकबा 11 ऐयर को सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि भू प्रबंध विभाग को ऐंसा करने का कोई अधिकार नही था। उक्त भूमि पर वादीगण ही काबिज काश्त है। अन्य दीगर व्यक्ति का कोई वास्ता नही है। उक्त भूमि को गलत तरीके से माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी विराजमान गंगापुर सिटी दर्ज किया गया है। उक्त मंदिर की पूजा वेतन से होती है ओर पुजारी वेतन भोगी राजस्थान सरकार का है। कोई पुजारी नही है और उक्त मंदिर की देखभाल रखरखाव देवस्थान विभाग के जिम्मे है। इस कारण देवस्थान विभाग को पक्षकार बनाया गया है। दिनांक 16.3.94 को हल्का पटवारी व अन्य व्यक्तियो ने वादीगण को बताया कि उक्त भूमि मंदिर श्री रघुनाथजी के दर्ज [illegible] कारण दावा कराना आवश्यक हुआ तथा पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 को नोटिस [illegible] दावा स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ। उक्त भूमि के [illegible] और उक्त भूमि खालसा पूर्व मे हो चुकी है। इस आशय का एक [illegible] प्रतिवादी संख्या 3 को दिनांक 2 जुलाई 1983 को आयुक्त देवस्थान विभाग राज0उदयपुर [illegible]ारी किया गया था जो भी वादी के

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तथ्य की पुष्टि करता है। प्रतिवादीगण इस एडमिशन से मुकर नही सकते है। इस कारण इस गलत इन्द्राज का दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का डिकी फरमाया जावे कि दावे के मद न0 1 मे वर्णित आराजीयात को वादीगण की खातेदारी घोषणा करके रेवेन्यू रिकार्ड मे इन्द्राज दुरूस्त किया जावे और माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी का नाम उक्त भूमि से हटाया जाकर वादीगण के नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र मे मद न0 1 मे वर्णित आराजीयात के वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा व अडचन पैदा नही करे और ना ही किसी अन्य से करावे तथा भविष्य मे उक्त भूमि का इन्द्राज बिना किसी सक्षम आदेश के नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांटान द्वारा यह अपीले इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यो का का गहनता से परीक्षण नही कर निर्णय पारित किया गया है। मंदिर की भूमि सम्वत 1984 के बाद खालसा होने का कथन निराधार है। वादी/रेस्पो0 द्वारा भूमि खालसा होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत अधिनस्थ न्यायालय मे पेश नही किया है। किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि खालसा की गई है व किस आदेश से की गई है। उनके द्वारा इस प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नही किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मंदिर की भूमि को किस आधार पर खालसा होना माना है। वह एक सामान्य प्रशासनिक पत्राचार की फोटो प्रति है। उक्त पत्र मे यह भी अंकित नही है कि भूमि खालसा किस ग्राम की कौन से ख0न0 की कितना रकबा किस तिथी को की गई है। गंगापुर सिटी मे मंदिर रघुनाथजी के नाम से दो मंदिर है तो यह किस मंदिर से संबंधित है। तथाकथित पत्र की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति नही होने के बाबजूद फोटो प्रति अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य के रूप मे ग्रहण की है जो साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानो का स्पष्ट उल्लंघन है। इस बाबत अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिरोध भी किया गया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 को निर्णय का मुख्य आधार मानकर निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व है। उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड मे सन 1984 से लेकर वर्तमान सम्वत तक मंदिर के नाम दर्ज रही है। खतौनी एकीकरण कर्मचारियो द्वारा पुजारियो के नाम खतौनी मे गलत रूप से दर्ज कर दिये गये है। राज्य सरकार के ध्यान मे आने पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पुजारियो के नाम विलोपित करने हेतु परिपत्र जारी किये गये है। किसी मंदिर की भूमि को खालसा किये जाने एवं खातेदारी दिये जाने के प्रकरण राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर उन्मूलन अधिनियम 1952 के तहत निस्तारित किये जा सकते है किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत नही किये जा सकते है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उसमे भी विशेष रूप से धारा 90 के प्रावधानो के अनुसार ही किये जा सकते है। मंदिर श्री रघुनाथजी की उक्त वर्णित भूमि सम्वत 1984 से वर्तमान सम्वत तक राजस्व रिकार्ड मे भूमि मंदिर रघुनाथजी के खातेदारी मे दर्ज है जिनके दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रिकार्ड की प्रतिलिपी अधिनस्थ न्यायालय मे पेश की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम वशावी कॉपरेटिंग हाउसिंग सोसायटी व अन्य मे पारित निर्णय मे यह मत प्रतिपादित किया है कि वादी को स्वयं अपना वाद वस्तु पर अपना स्वतः प्रमाणित करना आवश्यक है। वादी, प्रतिवादी के स्वत्व साबित करने मे असफलता का लाभ नही ले सकता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 जयनारायण द्वारा पेश जबाब दावे के जबाबुल जबाब जो दिनांक 23.2.99 को प्रस्तुत किया है के चरण संख्या 1 की चौथी पंक्ति मे वादीगण ने कथन किया है कि मंदिर श्री रघुनाथ जी सेवा पूजा पंडित चतुर्भुज जी करते थे तथा वादीगण ने भी अपने साक्ष्य मे दिये कथनो मे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है की हीरालाल की मृत्यु के बाद सेवापूजा पंडित चतुर्भुज करते थे। इस प्रकार प०चतुर्भुज की हैसियत अपीलार्थी के पुजारी के रूप मे वादीगण स्वयं स्वीकार करते है। साक्ष्य विधि की मान्य अवधारणा है कि स्वीकृत तथ्यो को प्रमाणित करने की आवश्यकता नही है। जैसा कि आर आर टी 2024 (1) मे पारित निर्णय मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्वान्त पारित किया है कि माफी मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर पुजारी को काश्त करने के आधार पर खातेदारी प्रदान नही किये जा सकते है। जिसे प्रत्यर्थीगण भी अप्रत्यक्ष रूप से सहमत है। इसलिए वो राजस्व अभिलेख के विपरीत चतुर्भुज को बार बार सबटीनेन्ट के रूप मे सबोधित करते है जो अभिलेख मे कही भी सबटीनेन्ट नही है। इसी उपरोक्त निर्णय मे यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि एकीकरण विभाग को किसी को खातेदारी प्रदान करने का कोई अधिकार प्रदान नही था। एकीकरण द्वारा बिना क्षैत्राधिकार प्रदत्त खातेदारी के आधार पर पश्चातवर्ती कथित दानपत्र दिनांक 25.1.74 मूल रूप से शून्य एवं प्रभावहीन है। क्योकि सम्पति अन्तरण मे अज्ञापक प्रावधानो के अनुसरण मे अचल सम्पति मे अन्तरक को जो हक व अधिकार हासिल थे वही अन्तरिती को प्राप्त होते है। जब अन्तरक को कोई अधिकार वादग्रस्त भूमि पर नही थे तो वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही होते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दानपत्र को अहमियत देकर गंभीर विधिक त्रुटि किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि खसरा गिरदावरी राईट ऑफ रिकार्ड नही है। इसलिए उसके आधार पर खातेदारी होना नही माना जा सकता है साथ ही मंदिर माफी की भूमि सम्वत 2016 मे वादीगण के नाम होने से कोई अधिकार नही हो सकते है क्योकि एकीकरण मे किसी को खातेदारी देने का कोई कानूनी प्रावधान नही है। मंदिर की भूमि मे खातेदारी का निर्णय सम्वत 2008 से 2011 की जमाबंदी मे नाम होने व भूमि सुधार एवं जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार ही प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है। विशेष कर धारा 9 मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार ही जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नही दिया जबकि पक्षकारान द्वारा इसका विशेष उल्लेख किया गया था तथा कई माननीय न्यायालय की नजीरे भी प्रस्तुत की गई थी। भूमि का खालसा रजिस्टर ,खालसा की तिथि, खालसा करने वाले अधिकारी का पदनाम आदि ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया है जबकि अपीलांट द्वारा माफीयात रजिस्टर प्रस्तुत किया है। जिसमे उक्त विवादित भूमि मंदिर श्री रघुनाथ जी के नाम दर्ज है। अधिनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय ने अपने निर्णय का आधार मात्र खसरा गिरदावरी को ही माना है। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल द्वारा सुस्थापित विधिक प्रावधानो के अनुसरण मे खसरा गिरदावरी कब्जे के साक्ष्य मे रूप मे ग्रहण नही की जा सकती है। जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे मत प्रकट किया है कि खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते, अधिनस्थ न्यायालय ने खसरा गिरदावरी पर विश्वास कर विधिक त्रुटि किये जाने से निर्णय निरस्त योग्य है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकर फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रस्तुत चार अपीलो मे से 3 अपीले दावे मे पक्षकार रहे व्यथित पक्षकारो की और से पेश की है जबकि चौथी अपील मूर्ति मंदिर रघुनाथजी जरिये वाद मित्र अशोक पुत्र रमेश ब्राहम्ण वाद मित्र के रूप मे पेश की गई है। यह अपील धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है । उक्त अपील पेश करने हेतु धारा 96 सीपीसी के सबंध मे जो तथ्य अंकित किये है उनमे यह कही अंकित नही है कि उसके अधिकार उक्त निर्णय से किस प्रकार प्रभावित हो रहे है। सन 1994 से चल रहे दावे के बारे मे अचानक दिनांक 19.9.24 को आकर वाद मित्र बनकर उक्त अपील पेश करने मात्र से यह स्पष्ट है कि अपीलांट स्वयं ही अबोध था जिसके विवादित प्रकरण के बारे मे पिछले 30 वर्ष से मंदिर की भूमि के बारे मे कोई जानकारी नही थी तथा अचानक निर्णय के उपरान्त जानकारी हो गई। वास्तविकता यह है कि उक्त व्यक्ति जो वाद मित्र के रूप मे अपील श्रीमान के समक्ष लेकर आये है वह मंदिर के स्वयं को पुजारी बताने वाले जगदीश नारायण मिश्र की बहन के लडके है तथा अपीलकर्ता की मॉ स्वयं मौजूद है उक्त वाद मित्र का कभी मंदिर या उसकी भूमि से कभी कोई ताल्लुक वास्ता नही रहा केवल मन मे मंदिर की भूमि से लाभ प्राप्त करने के उद्वेश्य से स्वयं को उसका वाद मित्र बताकर प्रकरण पेश किया है। जबकि मंदिर के पुजारी मौजूद है जहॉ मंदिर के पुजारी मौजूद है तथा मंदिर को देवस्थान अपनी सम्पति मानता है वहॉ वाद मित्र के रूप मे अपील नही चल सकती। इसलिए वाद मित्र अशोक की और से प्रस्तुत अपील आधारहीन होने के कारण निरस्त योग्य है। जहॉ तक अन्य तीन अपीलो के संबंध मे निवेदन है कि अपील मे मद न0 1 मे अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल माना है परन्तु किस प्रकार खिलाफ कानून है यह अंकित नही किया है। इस कारण अपील आधारहीन है। मद न0 2 मे निर्णय देने से पूर्व पत्रावली मे प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यो के अवलोकन नही करना अंकित किया है जबकि निर्णय व डिक्री के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ निर्णय व डिक्री पारित की गई है तथा पत्रावली मे प्रस्तुत समस्त दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य की पूर्ण विवेचना कर प्रकरण मे तनकीयात कायम कर तनकीयात मे विस्तृत विवेचना कर निर्णय पारित किया गया है। जो पूर्ण रूप से विधि सम्मत निर्णय है। अपील निरस्त [illegible] अपील मे मद न0 3 मे अपीलांट द्वारा वर्णित तथ्यो के अवलोकन से स्पष्ट है कि [illegible] है कि सम्वत 1984 के बाद मंदिर की माफी खालसा करके भूमि स्टेट के कब्जे मे [illegible] गई तथा उक्त भूमि के सबटीनेन्ट चतुर्भुज थे जिनके नाम खातेदारी दर्ज हो गई अर्थात अपील के मद न0 3 मे अपीलाट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

वादीगण के दावे का कथन अंकित किया है। इसी प्रकार मद न0 4 मे न्यायालय द्वारा कायम तनकीयात व वादीगण व प्रतिवादीगण के दस्तावेजात व मौखिक साक्ष्य का कथन किया है जो वाद पत्र मे अंकित है तथा मद न0 5 मे न्यायालय द्वारा डिकी किये आदेश का अंकन कर अपील पेश करना आवश्यक होने का कथन किया है तथा अपील के मद न0 6 मे न्यायालय द्वारा कायम तनकी संख्या 1 के निर्णय को खिलाफ कानून बताया है तथा कथन किया है कि इस तनकी को जमाबंदी सम्वत 2016 के आधार पर निर्णित किया है उक्त जमाबंदी मे चतुर्भुज पुत्र हीरालाल का नाम बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से दर्ज किया गया। भूमि के खालसा होने की पुष्टि जिस पत्र द्वारा की गई है उसमे स्थान का नाम दर्ज नही है अर्थात अपीलांट स्वयं यह मानते है कि भूमि को खालसा किया गया तथा जिस पत्र द्वारा खालसा किया गया उस पर संदेह जाहिर कर रहे है। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे स्पष्ट से तनकी संख्या 1 के निर्णय मे अंकित किया है। भूमि खालसा होने की पुष्टि जिलाधीश सवाई माधोपुर द्वारा देवस्थान विभाग उदयपुर को लिखे गये पत्र कमांकःप.3/राज/82/5583 दिनांक 2 जुलाई 1983 प्रदर्श 23 से होती है। इस पत्र मे लिखा है कि उपरोक्त विषयान्तर्गत जॉच कर तहसीलदार गंगापुर सिटी को अवगत कराया गया है कि मंदिर श्री रघुनाथजी स्थित कस्बा गंगापुर सिटी की माफी की भूमि का राजस्व रिकार्ड मे सम्वत 1984 तक इन्द्राज का भूतपूर्व जयपुर रियासत के समय मे ही महकमा कौंसिल जयपुर के आदेशानुसार इस मंदिर की माफी को खालसा कर स्टेट के कब्जे मे ले लिया गया तथा उस समय जो काश्तकार काश्त कर रहे थे उनको सम्वत 2003 मे बंदोवस्त मे खातेदारी अधिकार मिल गये तथा उसके उपरान्त खातेदारो द्वारा भूमि का रहन व विक्रय अन्य खातेदारो की तरह किया गया। चूकिः इस मंदिर की माफी संम्वत 1996 मे ही खालसा हो गई थी इसलिए इस भूमि को मंदिर की माफी का नही माना जा सकता है। उक्त कथन को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने जबाब दावे मे मद न0 1 मे आंशिक रूप से स्वीकार किय है अर्थात प्रदर्श 6 व प्रदर्श 7 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि विवादित भूमि के खातेदार चतुर्भुज पुत्र हीरालाल रहे परन्तु हाल सेटलमेंट भूमि को गलत रूप से मंदिर रघुनाथजी के नाम दर्ज कर दिया जिसके संबंध मे प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा खतौनी सेटलमेंट संम्वत 2039 प्रदर्श ए–2 पेश की है जिससे खातेदारी वर्तमान नम्बर की मंदिर के नाम दर्ज है जिसके बारे मे वादीगण का कथन है कि सेटलमेंट द्वारा गलत तरीके से बिना किसी आधार के भूमि मंदिर के नाम दर्ज की गई जबकि भूमि पर लगातार वादीगण का कब्जा काश्त है गिरदावरी सम्वत 2008–11 प्रदर्श 5 व प्रदर्श 4 से साबित है। उक्त तथ्यो का जो विवेचन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया है वह बिलकुल विधि सम्मत रूप से दस्तावेजो के अवलोकन से किया गया है तथा तनकी को सही रूप से वादीगण के पक्ष मे निर्णित किया है जहॉ तक भूमि के खालसा नही होने का प्रश्न है इसके बाबत अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेज या कथन अपने जबाब दावे मे अंकित नही किया है। जिला कलेक्टर के पत्रांक प.3/राज/82/5583 दिनांक [illegible] हेतु आई तहसीलदार की रिपोर्ट के विरूद्व हो अर्थात अपीलांट एक और जिला [illegible] के अधीन संधारित दस्तावेजो को सही मानते तथा दुसरी अैर जिला कलेक्टर [illegible] तहसीलदार की रिपोर्ट का मिथ्या होने का कथन करते है जो [illegible] जमाबंदी व गिरदावरी सरकारी दस्तावेज है इसी प्रकार उक्त पत्र भी सरकारी दस्तावेज है [illegible]से मिथ्या नही कहा जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:14 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जहॉ तक देवस्थान विभाग का प्रश्न है देवस्थान विभाग को स्वयं जिला कलेक्टर द्वारा अपने पत्र से भूमि के खालसा होने की पुष्टि बाबत पत्र लिखा गया तथ देवस्थान विभाग ने स्वयं अपने जबाब दावे मे यह अंकित किया है कि मंदिर देवस्थान विभाग का नियंत्रित है तथा समस्त खर्चा देवस्थान विभाग उठाता है। भूमि पर पं0 चतुर्भुज का कब्जा होना देवस्थान विभाग स्वीकार करता है जिससे यह प्रमाणित होता है कि भूमि खालसा होकर पं0 चतुर्भुज की खातेदारी मे सबटीनेन्ट होने के नाते दर्ज हो गई। वास्तविकता यह रही कि जागीर रिजेम्पशन एक्ट 1952 के द्वितीय परिशिष्ठ के अन्तर्गत मंदिर को एन्यूटी दी जाती है। विवादित भूमि मंदिर की भूमि नही रही है बल्कि उदक की भूमि रही है। जो मंदिर नही होकर व्यक्ति विशेष की भूमि है तथा इसे जयपुर कौंसिल रियासत द्वारा काश्त हेतु दी जाती है इस प्रकार उक्त भूमि मंदिर की भूमि नही रही है तथा जयपुर टीनेन्सी एक्ट मे उदक की भूमि को मंदिर की भूमि नही माना अर्थात वर्तमान सेटलमेंट द्वारा जो इन्द्राज उक्त विवादित भूमि बाबत दर्ज किये गये है वह गलत है व अवैधानिक रहे। यहॉ यह उल्लेखित करना भी आवश्यक है कि राजस्थान लैण्ड रिफोर्म एण्ड रिजमपशन ऑफ जागीर एक्ट 1952 लागू होने के समय एवं उससे पूर्व जयपुर टीनेन्सी एक्ट व जयपुर स्टेट ग्रान्ट लैण्ड टिनोर्स एक्ट 1947 के लागू होने के समय व उसके बाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के बाद भी वादीगण व उसके बुजुर्ग चतुर्भुज भूमि पर लगातार काबिज काश्त खातेदार रहे है तथा उन्हे खातेदारी अधिकार पहले ही मिल चुके जिन्हे बाद मे किसी भी कानून के द्वारा निरस्त नही किया जा सकता है अर्थात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है। अपील खारिज फरमाई जावे। अपीलांट का कथन रहा कि तनकी संख्या 2 का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऑख मूद कर किया गया है जबकि तनकी संख्या 2 के निर्णय के विवेचन मे स्पष्ट रूप से वर्णित है कि विवादित भूमि बाबत दान पत्र चतुर्भुज द्वारा प्रेमदेवी,हरभेजी व युक्तिप्रसाद के नाम दिनांक 25.1.74 को रजिस्टर्ड करवाया था जिसके विरूद्व लाजपत द्वारा सिविल न्यायालय मे वाद पेश किया । उक्त भूमि दान पत्र के आधार पर वादीगण के नाम दर्ज हो गई। जिसे सेटलमेंट को निरस्त करने का अधिकार नही था तथा तनकी को सही रूप से वादीगण के पक्ष मे निर्णित कर दावा डिक्री किया गया है। अपीलांट द्वारा सेटलमेंट की कार्यवाही को सही बताया है तथा सेटलमेंट को वादीगण को सुनने की कोई आवश्यकता नही होना बताया है क्योकि मंदिर की खातेदारी इल्लीगल रूप से वादीगण के नाम दर्ज हुई। मुताबिक अपील सेटलमेंट विभाग को बिना किसी पक्ष को सुने ही खातेदारी बदलने का अधिकार था जो अपने आप मे हास्याप्रद बात है क्योकि एक और अपीलांट कानूनी कार्यवाही करने की बात करते है दूसरी और कानून के साथ सेटलमेंट विभाग द्वारा किये गये खिलवाड का सर्मथन करते है अर्थात अपीलांट स्वयं सरकारी संस्था होते हुए कानून को मजाक समझते है। कानून की कोई परवाह नही करते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से तनकी संख्या 3 को वादी के पक्ष मे निर्णित किया गया है। इसी प्रकार अपी[illegible] को भी गलत करार दिया है परन्तु यह अंकित नही किया कि किस प्रकार उक्त त[illegible] का निर्णय गलत हुआ है। जबकी उक्त तनकी को कथनो की पुष्टि तनकी संख[illegible] विवेचित करते हुए निर्णय पारित किया गया है जो विधि के अनुरूप है। तनकी संख्या 5 के बाबत अपील मे प्रतिवादी संख्या 2 को तथ्य साबित करने थे परन्तु इसके बाबत प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कोई मौखिक या

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:14 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही नही किये इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 5 को भी प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व निर्णित की है। जो विधि अनुरूप है। तनकी संख्या 6 के बाबत अपीलांट द्वारा मद न0 11 मे जो कथन किया है उसके बाबत कोई दस्तावेजी या मौखिक साक्ष्य पेश नही करने के कारण उक्त तनकी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही रूप से प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्व विधि अनुसार निर्णित की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के मद न0 12 मे सम्पूर्ण तनकी को प्रतिवादी न0 3 के पक्ष मे निर्णित करना कहा है जबकि उक्त तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष मे निर्णित की गई है अर्थात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित माना है कि मंदिर श्री रघुनाथजी आत्म निर्भर श्रेणी का मंदिर है तथा विवादित भूमि का मंदिर से सवंध होने का प्रश्न है उसे उसने तनकी नम्बर 1 लगायत 4 मे वादीगण के पक्ष मे निर्णित किया है। तनकी संख्या 8 को साबित करने का भार प्रतिवादी न0 5 पर था जिसे अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रिकार्ड एवं मौके के विपरीत निर्णित करना कहा है यहॉ यह तनकी मे भूमि की खातेदारी मंदिर के होने का संबंध नही है बल्कि भूमि जो चतुर्भुज की खातेदारी की भूमि रही है मे प्रतिवादी न0 5 का हिस्सा होने बाबत जिसमे तनकी प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष मे निर्णित की गई है। तनकी संख्या 9 व 10 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व तय की गई है क्योकि प्रतिवादी संख्या 4 की मृत्यु उपरान्त इनके स्थान पर जगदीश नारायण मिश्र को देवस्थान विभाग द्वारा पुजारी नियुक्त किय गया जो पुजारी की हैसियत से पक्षकार मुकदमा है। जिसने प्रतिवादी संख्या 8 के रूप मे मंदिर के पुजारी की हैसियत अपील पेश की है। जबकि वाद पत्र की तनकी संख्या 9 व 10 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 4 के प्रतिनिधी प्रतिवादी न0 8 पर था परन्तु उनके द्वारा कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य पेश नही किया गया । जिससे उक्त तनकी उनके पक्ष मे साबित हो सके। जहॉ तक अपील का प्रश्न है अपीलांट को मंदिर की भूमि मे कोई अधिकार प्राप्त नही है वह केवल वेतन भोगी पुजारी(कर्मचारी) है तथा प्रकरण मंदिर की सम्पति को लेकर है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकीयात का सही रूप से विवेचन कर ही निर्णय पारित किया है। तनकी संख्या 11 व 12 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 6 पर था जो कि खातेदार चतुर्भुज के वारिस है तथा उसके संबंध मे पूर्व मे तनकी संख्या 1 लगायत 4 मे उक्त तनकीयात की पूर्ण विवेचना की जा चुकी है जिनके अनुसार ही अपीलाधीन निर्णय विधि अनुरूप पारित किया गया है। प्रकरण मे पक्षकारान के मध्य मुख्य विवाद तनकी संख्या 1 ता 4 का रहा है जो वादीगण के पक्ष मे निर्णित हुई है। हुकुम नहकमा खास रेवेन्यू राज सवाई द्वारा अपील भौरीलाल पि0 मुतनना मूसीराम निवासी गंगापुर बनाम सरकार मे विवादित भूमि के बाबत अपने निर्णय दिनांक 26.4.1926 को भूमि का मातमी नजराना व जुरमाना भौरीलाल से वसूल किया जाकर भूमि वागुजास्त करने अर्थात 26 अप्रेल 1926 के निर्णय से ही उक्त भूमि भौरीलाल मालिकाना रूप से प्राप्त हो चुकी थी अर्थात भूमि मंदिर माफी की न होकर भौरीलाल की मालिकाना हक की भूमि रही है। इ[illegible] भूमि मंदिर की नही रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र पूर्ण [illegible]लेषण एवं तनकीवार सिद्व होने पर ही डिक्री किया गया है। अपीलांट [illegible] किया है जिससे की विवादित भूमि की खातेदारी वादीगण व [illegible] नाम नही रही हो उनका भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:14 IST
Reason: SelfAttested

अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

कब्जा नही हो। वर्तमान मे मौके पर वादीगण/अपीलांट का कब्जा है तथा वे ही काबिज काश्त है। इस कारण अपीलांट की अपील आधारहीन होने से निरस्त योग्य है।

मूर्ति मंदिर रघुनाथजी जरिये पुजारी जगदीश नारायण बनाम प्रेमदेवी व अन्य के संबध मे निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय तनकी संख्या 9 व 10 का संबध पुजारी मंदिर से है तथा उन्हे यह तनकी साबित करनी थी परन्तु प्रतिवादी संख्या 4 के प्रतिनिधी के बतौर पुजारी प्रतिवादी नं0 8 उक्त तनकीयात को साबित करने असफल रहे जिनका विस्तृत विवेचन बहस मे तनकी संख्या 1 लगायत 4 मे किया जा चुका है तथा अन्य आधारो पर अपीलांट को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही है। इस कारण अपील निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा यह अपील राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 225 के तहत पेश की गई जबकि निर्णय व डिक्री की अपील धारा 223 आर टी एक्ट के तहत पेश करने का प्रावधान है इस कारण अपील इसी स्टेज पर खारिज योग्य है। अपीलांट ने अपील मे अंकित किया है कि अपीलांट पूर्व मे पक्षकार नही था प्रार्थी को पक्षकार बनाया जावे। अपीलांट ने उक्त मंदिर को स्वयं की निजी पारिवारिक सम्पति होना अंकित कर कथन किया कि अपीलांट के बुजुर्गान व हिस्सेदारान के मध्य मंदिर व उसकी जमीन जायदाद देवस्थान विभाग के पास कोर्ट ऑफ वार्डस एक्ट के तहत सुपुर्दगी मे चली गई तथा इसी आधार पर देवस्थान विभाग द्वारा मंदिर व उसकी जायदाद की देखभाल का अंकन किया है। पं0 चतुर्भुज कभी मंदिर के पुजारी नही रहे तथ्यो का उल्लेख करते हुए अपील पेश की है। इस अपील मे वर्णित तथ्यो को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 ता 4 मे पूर्ण रूप से मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य जो पक्षकारान द्वारा प्रस्तु किये गये है कि पूर्ण विवेचना की है जहॉ तक पं0 चतुर्भुज का प्रश्न है वादीगण द्वारा स्वयं उसके सबटीनेन्ट बताया है तथा सभी जबाबदारो द्वारा भी चतुर्भुज को भूमि का सबटीनेन्ट ही बताया गया है ना कि पुजारी परन्तु प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा चतुर्भुज का मंदिर के पुजारी के रूप मे दर्शाने का प्रयास कर उसे पुजारी नही होना अंकित किय है तनकी संख्या 1 ता 4 मे अपीलांट द्वारा अपनी अपील मे उठाये गये सभी तथ्यो की पूर्ण रूप से विवेचना कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा जो न्यायिक दृष्टांतो का उल्लेख किया है वह मंदिर के पुजारी के खातेदारी प्राप्त करने के विरूद्व है जो स्वयं अपीलांट के ही विरूद्व है। क्योकि अपीलांट स्वयं को मंदिर का पुजारी की हैसियत मुताबिक सजरा इंगित करता है अर्थात स्वयं ही स्वयं के विरूद्व न्यायिक दृष्टांत पेश कर रहे है। सम्पूर्ण वाद पत्र मे या जबाब दावे मे केवल प्रतिवादी 7 को छोडकर किसी भी पक्षकार ने पं0 चतुर्भुज को मंदिर का पुजारी नही कहा है केवल काबिज काश्तकार होना अंकित किया है अर्थात अपीलांट की अपील आधारहीन होने से निरस्त योग्य है। क्योकि पं0 चतुर्भुज को भूमि की खातेदारी मंदिर के पुजारी के तौर पर नही मिली बल्कि मातमी खालसा होने के बाद सबटीनेन्ट के रूप मे काश्तकार होने के आधार पर खातेदारी मिली है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील मे वर्णित समस्त तथ्यो की विवेचना तनकी संख्या 1 से 12 के वि[illegible]र्ण रूप से कर दी गई। जिसका पुनः वर्णन करना आवश्यक नही है। इस प्रकार प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से निरस्त फरमाई जावे। निर्णय व डिकी अधिनस्थ न्यायालय यथावत [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्रा[illegible]
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व प्रस्तुत/उल्लेखित न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि साबिक ख0न0 824 रकबा 3 विस्वा, 817 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, 818 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा , 821 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा, 825 रकबा 1 बीघा 3 विस्वा, 822 रकबा 2 बीघा 19 विस्वा, 815 रकबा 1 बीघा 10 विस्वा, 816 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा, 823 रकबा 9 विस्वा कुल किता 9 कुल रकबा 18 बीघा 3 विस्वा ग्राम मिर्जापुर तहसील गंगापुर सिटी मे स्थित है।। जिसके एकीकरण मे ख0न0 441 रकबा 3 विस्वा , 442/1 रकबा 17 बीघा 9 विस्वा, 442/2 रकबा 9 विस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 18 बीघा 6 विस्वा बनाये गये। हाल सेटलमेंट मे इनके नये नम्बर 1063 रकबा 4.36 है0, 1064 रकबा 0.06 है0, 1065 रकबा 0.06 है0, 1066 रकबा 0.02 है0, 1067 रकबा 0.11 है0बने है। जो कि नकल खतौनी एकीकरण जमाबंदी सम्वत 2016 से स्पष्ट है। उक्त भूमि सम्वत 1984 से पूर्व श्री रघुनाथजी मंदिर की खातेदारी मे थी और उक्त भूमि को सम्वत 1984 के बाद जयपुर रियासत मे कोन्सिल जयपुर ने इस मंदिर की माफी खालसा करके स्टेट के कब्जे मे ले ली थी और सम्वत 2003 मे उक्त भूमि के सबटीनेन्ट पं0चर्तुभुज थे और उनके नाम कब्जे व मौके पर काश्त के आधार पर उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज की गई। हुकुम महकमा खास रेवेन्यू राज सवाई द्वारा अपील भौरीलाल पि0 मुतनना मूसीराम निवासी गंगापुर बनाम सरकार मे विवादित भूमि के बाबत अपने निर्णय दिनांक 26.4.1926 को भूमि का मातमी नजराना व जुरमाना भौरीलाल से वसूल किया जाकर भूमि वागुजास्त करने अर्थात 26 अप्रेल 1926 के निर्णय से ही उक्त भूमि भौरीलाल मालिकाना रूप से प्राप्त हो चुकी थी अर्थात भूमि मंदिर माफी की न होकर भौरीलाल की मालिकाना हक की भूमि रही है। इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि मंदिर की नही रही है। उक्त भूमि के खातेदार पं0हीरालाल थे जो फौत हो गये जिनकी मृत्यु के पश्चात भूमि सम्वत 2003 से लगातार भूमि प0 चतुर्भुज की खातेदारी मे चली आ रही थी। सन 1974 मे उक्त भूमि पं0 चतुर्भुज ने जरिये दानपत्र वादीगण के नाम कर दी थी और कब्जा वादीगण को दे दिया गया था तभी से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है और सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है। दान पत्र के बाद उक्त भूमि की खातेदारी विधिवत वादीगण के नाम दर्ज गई थी और राजस्व रिकार्ड मे इसका अमल हो चुका था परन्तु हाल सेटलमेंट ने बिना किसी सक्षम आदेश के वादीगण को बिना कोई सुनवाई का मौका दिये उक्त भूमि मंदिर श्री रघुनाथ जी के माफी मे दर्ज कर दी और हाल ख0न0 1067 रकबा 11 ऐयर को सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि भू प्रबंध विभाग को ऐंसा करने का कोई अधिकार नही था। उक्त भूमि पर वादीगण ही काबिज काश्त है। उक्त भूमि को गलत तरीके से माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी विराजमान गंगापुर सिटी दर्ज किया गया है। उक्त भूमि खालसा हो चुकी है। उक्त भूमि के सबटीनेन्ट पं0चतुर्भुज थे। जिसकी पुष्टि पत्र संख्या प.3/राज/82/5583 दिनांक 2.7.83 से होती है। विवादित आराजीयात पं0 चतुर्भुज की खातेदारी मे दर्ज होने का कथन की पुष्टि बयान डी डब्लू 7 से होती है। जिसमे विवादित भूमि चतुर्भुज की खातेदारी मे दर्ज होना स्वीकार किया है। भूमि खालसा होने के पश्चात हीरालाल के नाम दर्ज थी व पं0 हीरालाल की मृत्यु के पश्चात वादीगण के बुजुर्ग पं0चतुर्भुज के नाम खातेदारी होने पर ही पं0चतुर्भुज द्वारा सन 1974 मे वादीगण के रजिस्टर्ड दान पत्र किया है। सेटलमेंट के दौरान वर्ष 1980–82 मे सेटलमेंट

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:14 IST
Reason: SelfAttested

राज्य अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

विभाग द्वारा भूमि को गलत तरीके से वादीगण को खातेदारी अधिकारो से वंचित करने के कारण ही वाद पेश किया गया था। राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी मुताबिक कब्जा व मौके पर काश्त होने पर ही दर्ज किया जाता है जिसके आधार पर ही वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी दर्ज हुई है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2016 से 2019 मे भूमि के खालसा होने का नोट अंकित है। अपीलांट द्वारा जिस दान पत्र को अपील का आधार माना है उस दान पत्र को अपीलांट द्वारा दौराने दावा तलब कराने हेतु कोई प्रार्थना नही की गई है। नकल जमाबंदी सम्वत 2016 प्रदर्श 6 व 7 मे काबिज काश्तकार के रूप मे कॉलम संख्या 5 मे चतुर्भुज पुत्र हीरालाल का नाम दर्ज रिकार्ड है। भूमि खालसा होने के पुष्टि जिलाधीश सवाई माधोपुर द्वारा देवस्थान विभाग उदयपुर को लिखे गये पत्र कमांक प.3/राज/83/5583 दिनांक 2.7.1983 प्रदर्श 23 से भी होती है। भूमि खालसा होने के पश्चात सम्वत 2003 मे बंदोवस्त के दौरान भूमि पर काबिज काश्तकारान को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए है। तत्पश्चात इन खातेदारो द्वारा भूमि का रहन बेचान भी अन्य खातेदारो की भांति किया गया है। भूमि सम्वत 1996 मे ही खालसा हो गई थी। इस प्रकार राजस्थान काश्कारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही वादीगण का विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य प्राप्त कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं वादी एवं प्रतिवादी की मौखिक साक्ष्य का पूर्ण रूप से विवेचन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इसी प्रकार अपील संख्या 72/24 जो कि धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है, जिसमे अपीलांट का किसी प्रकार का हित निहित नही होने से अपील खारिज योग्य है तथा अन्य तीनो अपीले भी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतःअपीलाटान द्वारा प्रस्तुत उक्त चारो अपीले खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के मु0नं0 187/94 निर्णय व डिकी दिनांक 02.8.24 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति चारो पत्रावलियों मे पृथक पृथक संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील (सवाई माधोपुर (राज.))

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:11:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner